2018 का विधेयक संख्यांक 100

[दि आरबिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 1996 का 26

(i) उपधारा (1) में,--

(अ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(गक) "माध्यस्थम् संस्था" से इस अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित कोई माध्यस्थम् संस्था अभिप्रेत है;';

(आ) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।';

(ii) उपधारा (2) के परंतुक में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखें जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,--

(i) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास समय-समय पर माध्यस्थम् संस्थाओं को पदाभिहित करने की शक्ति होगी, जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 43च के अधीन परिषद् द्वारा श्रेणीकृत किया गया है :

परंतु ऐसी उच्च न्यायालय अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीकृत माध्यस्थम् संस्था उपलब्ध नहीं है, संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, माध्यस्थम् संस्था के कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकेगा और मध्यस्थ के संबंध में किसी प्रतिनिर्देश को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक माध्यस्थम् संस्था समझा जाएगा और इस प्रकार किसी पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची के अधीन यथा विहित फीस के लिए हकदार होगा :

परंतु यह और कि संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।";

(ii) उपधारा (4) की दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा

पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी ।";

(iii) उपधारा (5) में, "तो नियुक्ति," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "द्वारा की जाएगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।";

(iv) उपधारा (6) में, दीर्घ पंक्ति में, "वहां कोई पक्षकार," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "या संस्था से" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वहां नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी और";

(v) उपधारा (6क) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(vi) उपधारा (8) में, ", यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् संस्था" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(vii) उपधारा (9) में, "उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) उपधारा (10) का लोप किया जाएगा ;

(ix) उपधारा (11) से उपधारा (14) के स्थान पर निम्निलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(11) जहां उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन भिन्न-भिन्न माध्यस्थम् संस्थाओं को एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहां ऐसी माध्यस्थम् संस्था, जिसे सुसंगत उपधारा के अधीन पहले अनुरोध किया गया है, नियुक्ति के लिए सक्षम होगी ।

(12) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (8) में निर्दिष्ट कोई मामला किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् या किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होता है, वहां उन उपधाराओं में माध्यस्थम् संस्था के प्रति किसी निर्देश को "उपधारा (3क) के अधीन पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था" के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

(13) इस धारा के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किए गए किसी आवेदन को, माध्यस्थम् संस्था द्वारा, विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा ।

(14) माध्यस्थम् संस्थाएं, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिकरण की फीसों और उसे उसके संदाय की रीति का अवधारण करेंगी ।

स्पष्टीकरण--संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपधारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और ऐसे माध्यस्थमों (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न), जहां पक्षकारों ने माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमति दी है, को लागू नहीं होगी ।" ।

धारा 17 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "या माध्यस्थम् पंचाट के किए जाने के पश्चात् किंतु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) इस धारा के अधीन दावे और प्रतिरक्षा का विवरण, उस तारीख से, जिसको यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों को, उनकी नियुक्ति का लिखित में नोटिस प्राप्त होता है, छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।"।

धारा 29क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 29क में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न मामलों में पंचाट, धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन लंबित है, वहां मध्यस्थ का अधिदेश उक्त आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा :

परंतु यह भी कि मध्यस्थ को, फीस में कमी किए जाने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।"।

धारा 34 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "यह सबूत देता है कि" शब्दों के स्थान पर "मध्यस्थ अधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह स्थापित करता है कि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में, "निम्नलिखित आदेशों" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 42क और 42ख का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

सूचना की गोपनीयता ।

"42क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार से संबंधित मध्यस्थ, माध्यस्थम् संस्था और पक्षकार, सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों की गोपनीयता बनाए रखेंगे, सिवाय पंचाट के और उस समय जहां उनका प्रकटन पंचाट के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

42ख. किसी मध्यस्थ के विरुद्ध, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी ।"।

नए भाग का अंतःस्थापन ।

10. मूल अधिनियम के भाग 1 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'भाग 1क

भारतीय माध्यस्थम् परिषद्

परिभाषाएं ।

43क. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अध्यक्ष" से धारा 43ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया गया भारतीय माध्यस्थम् परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से धारा 43ख के अधीन स्थापित भारतीय माध्यस्थम् परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ।

भारतीय माध्यस्थम् परिषद् की स्थापना और उसका निगमन ।

43ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय माध्यस्थम् परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसके पास इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित, धारण करने और उसे बेचने और साथ ही संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा ।

(4) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर

कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।

परिषद् की संरचना ।

43ग. (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या वह कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति है, जिसके पास माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाना है–अध्यक्ष;

(ख) कोई विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायी, जिसके पास घरेलु और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के संस्थागत माध्यस्थम् में सारवान् ज्ञान और अनुभव है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है–सदस्य;

(ग) कोई विख्यात शिक्षाविद्, जिसके पास माध्यस्थम् और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्यापन का अनुभव है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाना है–सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि–सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि–सदस्य, पदेन;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर चुना गया किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग निकाय का एक प्रतिनिधि–अंशकालिक सदस्य ; और

(छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी –सदस्य सचिव, पदेन ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य, उनके द्वारा पदग्रहण किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पदधारण करेंगे :

परंतु पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् उस रूप में पदधारण नहीं करेगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के लिए हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जांएं ।

परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।

43घ. (1) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और उसका प्रोत्साहन

करने के लिए ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों और उस प्रयोजन के लिए नीति की विरचना तथा स्थापन, प्रचालन और माध्यस्थम् से संबंधित सभी विषयों के संबंध में एकसमान वृतिक मानक बनाए रखने के लिए दिशा- निर्देशों की विरचना करे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए परिषद्,--

(क) माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण को शासित करने के लिए नीति की विरचना कर सकेगी ;

(ख) मध्यस्थों को प्रत्यायन उपलब्ध कराके वृतिक संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकेगी;

(ग) माध्यस्थम् संस्थाओं और मध्यस्थों के श्रेणीकरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी ;

(घ) विधि फर्मों, विधि विश्वविद्यालयों और माध्यस्थम् संस्थाओं के सहयोग से माध्यस्थम् के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकेगी;

(ङ) सन्नियमों की स्थापना, उनका पुनर्विलोकन और अद्यतन कर सकेगी, माध्यस्थम् और सुलह के समाधानप्रद स्तर को सुनिश्चित करेगी ;

(च) भारत को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् और सुलह का एक उत्तम केन्द्र बनाने हेतु एक मंच के सृजन के लिए अपनाए जाने वाले पुनर्विलोकनों और तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकेगी;

(छ) केन्द्रीय सरकार को, वाणिज्यिक विवादों के सुगम समाधान के लिए उपबंध करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के संबंध में सिफारिश कर सकेगी;

(ज) माध्यस्थम् संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन कर सकेगी;

(झ) माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रदान कर सकेगी;

(ञ) भारत और विदेशों, दोनों में किए गए माध्यस्थम् पंचाटों के निक्षेपागार की स्थापना कर सकेगी और उसे बनाए रखेगी;

(ट) माध्यस्थम् संस्थाओं के अवसंरचना, कार्मिकों, प्रशिक्षण और अवसंरचना के संबंध में सिफारिशें कर सकेगी; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन ।

43ङ. परिषद् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों पर, ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी, जैसाकि वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण के लिए साधारण सन्नियम ।

43च. परिषद् ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवसंरचना, मध्यस्थों की गुणवत्ता और सक्षमता, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए कार्यपालन और समय-सीमा के अनुपालन से संबंधित मानदंडों के आधार पर माध्यस्थम् संस्थाओं का श्रेणीकरण करेगी ।

प्रत्यायन के लिए सन्नियम ।

43छ. मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए सन्नियम वे होंगे, जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आठवीं अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरांत आठवीं अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा ।

पंचाटों का निक्षेपागार ।

43ज. परिषद् भारत में किए गए सभी माध्यस्थम् पंचाटों और उनसे संबंधित अन्य अभिलेखों का, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक इलैक्ट्रानिक निक्षेपागार बनाए रखेगी ।

परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति ।

43झ. परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन हेतु, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से सुसंगत विनियम बना सकेगी ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

43ञ. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो परिषद् के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) परिषद् का एक सचिवालय होगा, जो उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।'।

धारा 45 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 45 में, "उसका यह निष्कर्ष होता है कि" शब्दों के स्थान पर "उसका प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष होता है कि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 50 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में, "ऐसे किसी आदेश" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 87 का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 86 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी और वह 23 अक्तूबर, 2015 से *अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्* :--

"87. जब तक कि पक्षकार अन्यथा करार न करें, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन,-- 2016 का 3

23 अक्तूबर, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् और संबद्ध न्यायालय कार्यवाहियों का प्रभाव ।

(क) निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,--

2016 का 3 (i) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों;

(ii) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि कोई न्यायालय कार्यवाहियां 2016 का 3 माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई थी, ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उदभूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों;

2016 का 3 (ख) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ पर या उसके पश्चात् आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को और ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उदभूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।"।

14. मूल अधिनियम की सातवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-- नई अनुसूची का अंतःस्थापन ।

"आठवीं अनुसूची

(धारा 43छ देखें)

मध्यस्थ की अर्हताएं और अनुभव

कोई व्यक्ति मध्यस्थ होने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,--

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा अधिवक्ता है, जिसके पास अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव है ; या

(ii) चार्टर्ड अकांउटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा चार्टर्ड अकांउटेंट है, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है ; या

(iii) भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी रहा हो ; या

(iv) विधि में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में विधिक मामलों में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो ; या

(v) इंजीनियरी में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में इंजीनियर के रूप में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो या वह दस वर्ष से स्वःनियोजित हो ; या

(vi) केंद्रीय या राज्य सरकार में प्रशासन का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाला

कोई अधिकारी रहा हो या जिसके पास पब्लिक सेक्टर उपक्रम, किसी सरकारी कंपनी या किसी विख्यात प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध का अनुभव हो ; या

(vii) किसी अन्य दशा में ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास डिग्री स्तर की शैक्षणिक अर्हता हों और साथ ही, जिसके पास दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकारों या अन्य विशेषीकृत क्षेत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में, यथास्थिति, सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में दस वर्ष का अनुभव हो या वह प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत रखता हो ।

मध्यस्थ को लागू साधारण संनियम

(i) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी निष्पक्षता, ईमानदारी में साधारण ख्याति हो और जो विवादों के समाधान में वस्तुनिष्ठता का उपयोग करने में समर्थ हो ;

(ii) मध्यस्थ को निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए और उसे ऐसे किसी वित्तीय कारबार या किसी अन्य संबंध से दूर रहना चाहिए जिससे उसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने की संभावना हो या जो पक्षकारों के बीच पक्षवादिता या पूर्वाग्रह की युक्तियुक्त संभावना सृजित करता हो ;

(iii) मध्यस्थ को किसी विधिक कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना चाहिए और उसे उसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में निपटाए जाने वाले किसी विवाद से संबंधित किसी संभाव्य विरोध से बचना चाहिए ;

(iv) मध्यस्थ को नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो ;

(v) मध्यस्थ भारत के संविधान, नैसर्गिक न्याय, समानता के सिद्धातों, सामान्य तथा रूढिजन्य विधियों, वाणिज्यिक विधियों, श्रम विधियों, अपकृत्य विधियों तथा माध्यस्थम पंचाटों को तैयार करने और उन्हें प्रवर्तित किए जाने से सुपरिचित होगा ;

(vi) मध्यस्थ के पास माध्यस्थम संबंधी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणाली की उत्तम समझ और उनके संबंध में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए ;

(vii) मध्यस्थ सिविल और वाणिज्यिक विवादों में संविदाकारी बाध्यताओं के प्रमुख तत्वों को समझने में समर्थ होना चाहिए और साथ ही वह विवाद के अधीन किसी परिस्थिति में विधिक सिद्धांतों को लागू करने और माध्यस्थम् से संबंधित किसी मामले में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में समर्थ होना चाहिए ;

(viii) मध्यस्थ, उसके समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु आने वाले किसी विवाद में एक युक्तियुक्त और प्रवर्तनीय माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में सुझाव देने, सिफारिश करने और उसे लेखबद्ध करने में समर्थ होना चाहिए ।

2016 के अधिनियम सं. 3 का संशोधन।

15. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 का लोप किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) को घरेलू माध्यस्थम्, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से संबंधित विधि को मजबूत करने तथा उसका संशोधन करने और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों का प्रवर्तन करने और साथ ही सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने और उससे सबद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था । माध्यस्थम् प्रक्रिया को सस्ता बनाने, उसमें शीघ्रता लाने और न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने और मध्यस्थों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

2. भारतीय माध्यस्थम् संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करके भारत में संस्थागत माध्यस्थम् के संवर्धन की एक ऐसे विषय के रूप में पहचान की गई है, जो माध्यस्थम् के माध्यम से विवाद समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । यद्यपि, भारत में माध्यस्थम् संस्थाएं कार्य कर रही हैं, फिर भी पक्षकार उन्हें अधिमानता नहीं देते हैं और वे तदर्थ माध्यस्थम् या विदेशों में अवस्थित माध्यस्थम् संस्थाओं के प्रति झुकाव रखते हैं । अंतः, संस्थागत माध्यस्थम् के विकास में रुकावटों की पहचान करने, भारतीय माध्यस्थम् के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विनिर्दिष्ट मुद्दों की समीक्षा करने और भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर संस्थागत माध्यस्थम् का एक उत्तम केंद्र बनाने के लिए योजना तैयार करने हेतु केंद्रीय सरकार ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ।

3. समिति के निर्देश निबंधनों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) भारत में माध्यस्थम् संस्थाओं के कार्यकरण और कार्यपालन का अध्ययन करके विद्यमान माध्यस्थम् तंत्र की प्रभावकारिता की समीक्षा करना ;

(ख) भारत में संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन करने के लिए योजना तैयार करना ; और

(ग) वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए प्रभावी और दक्ष माध्यस्थम् प्रणाली तैयार करना और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में सुधारों का सुझाव देना ।

4. उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत कर दी थी । देश में संस्थागत माध्यस्थम् को सुदृढ़ करने के विचार से, उक्त समिति ने, अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण और मध्यस्थों, आदि के प्रत्यायन के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की सिफारिश की थी । समिति ने, मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए न्यायालयों से संपर्क करने की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए उक्त अधिनियम में कतिपय अन्य संशोधनों की भी सिफारिश की है । उक्त सिफारिशों की समीक्षा करने के पश्चात्, भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के

माध्यस्थमों के लिए संस्थागत माध्यस्थम् का केंद्र बनाने के विचार से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ।

5. अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :--

(i) "मध्यस्थों की नियुक्ति" से संबंधित धारा 11 का संशोधन करना, जिससे मध्यस्थों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली, जिसमें ऐसी नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा की जाती हैं, में परिवर्तन करना और ऐसी प्रणाली स्थापित करना,जहां मध्यस्थों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अभिहित "माध्यस्थम् संस्थाओं" द्वारा की जाएगी ;

(ii) उस दशा में, जहां कोई श्रेणीकृत माध्यस्थम् संस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, माध्यस्थम् संस्थाओं के कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकेगा ;

(iii) माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण और मध्यस्थों आदि के प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए भारतीय माध्यस्थम् परिषद् नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने और उसके निगमन के लिए अधिनियम में एक नया भाग 1क अंत:स्थापित करना ;

(iv) "दावे और प्रतिरक्षा का विवरण" से संबंधित अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दावे और प्रतिरक्षा के विवरण को उस तारीख से, जिसको मध्यस्थों को नियुक्ति का नोटिस प्राप्त होता है, छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(v) यह उपबंध करना कि मध्यस्थ, माध्यस्थम् संस्थाएं और पक्षकार माध्यस्थम् कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे और साथ ही किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों को माध्यस्थम् कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा सदभावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई या लोप के लिए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों से सुरक्षा के लिए भी उपबंध करना ; और

(vi) यह स्पष्ट करना कि माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 केवल ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों और न्यायालय कार्यवाहियों को ही लागू है, जो 23 अक्तूबर, 2015 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हैं और ऐसी न्यायालय कार्यवाहियों को भी लागू हैं, जो ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उत्पन्न हुई हैं, ताकि विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए भिन्न-भिन्न मतों संबंधी समस्या का समाधान किया जा सके ।

6. विधेयक उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रवि शंकर प्रसाद**

17 मार्च, 2018

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में नई धाराएं, धारा 43क से धारा 43ञ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।

2. धारा 43ख की प्रस्तावित उपधारा (1) भारतीय माध्यस्थम् परिषद की स्थापना के लिए उपबंध करती है । उपधारा (2) में यह उपबंध है कि भारतीय माध्यस्थम् परिषद चल और अचल, दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, उसे धारण करेगी और उसे बेच सकेगी तथा उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि परिषद का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा । उपधारा (4) में यह उपबंध है कि परिषद, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकेगी ।

3. प्रस्तावित धारा 43ग की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा और उपधारा (4), अंशकालिक सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले यात्रा और अन्य भत्तों की हकदारी के लिए उपबंध करती है ।

4. प्रस्तावित धारा 43ञ की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी । उक्त धारा की उपधारा (4) यह भी उपबंध करती है कि परिषद का एक सचिवालय होगा, जिसमें उतनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि परिषद के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी ।

5. भारतीय माध्यस्थम् परिषद, आदि की स्थापना से उत्पन्न होने वाली वित्तीय विवक्षा को 17.51 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के आवर्ती और 1.93 करोड़ रुपए के अनावर्ती व्यय के रूप में अनुमानित किया गया है ।

6. भारतीय माध्यस्थम् परिषद आदि के अधिकारियों की नियुक्ति में उपगत होने वाले सही व्यय को उपदर्शित करना कठिन होगा । विधेयक आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के किसी अन्य व्यय की परिकल्पना नहीं करता है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में नई धाराएं, धारा 43क से धारा 43ञ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।

2. धारा 43ख की प्रस्तावित उपधारा (1), भारतीय माध्यस्थम् परिषद की स्थापना के लिए उपबंध करती है ।

3. प्रस्तावित धारा 43ग की उपधारा (3) और उपधारा (4) में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है,--

(क) परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

(ख) अंशकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले यात्रा और अन्य भत्तों के लिए हकदार होगा ।

4. प्रस्तावित धारा 43झ यह उपबंध करती है कि भारतीय माध्यस्थम् परिषद, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगी ।

5. प्रस्तावित धारा 43ञ की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी । उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि परिषद के सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

6. ऐसे विषय, जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * * * *

भाग 1

माध्यस्थम्

अध्याय 1

साधारण उपबंध

2. (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं ।

* * * * * * *

(ग) "*माध्यस्थम् पंचाट*" के *अंतर्गत कोई अंतरिम पंचाट* भी है ;

* * * * * * *

(ज) "पक्षकार" से माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार अभिप्रेत है ।

(2) यह भाग वहां लागू होगा जहां माध्यस्थम् का स्थान भारत में है :

परन्तु तत्प्रतिकूल किसी करार के अअधीन रहते हुए, धारा 9, धारा 27 और धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा उपधारा (3) के उपबंध अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को भी लागू होंगे, भले ही माध्यस्थ् का स्थान भारत के बाहर हो और ऐसे स्थान में किया गया या किया जाने वाला माध्यस्थम् पंचाट इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंधों के अधीन प्रवर्तनीय और मान्य है ।

* * * * * * *

11. (1) * * * * * * मध्यस्थों की नियुक्ति ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, तीन मध्यस्थों वाले किसी मध्यस्थ में, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ ऐसे तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा ।

(4) यदि उपधारा (3) की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होती है और–

(क) कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में, दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, असफल रहता है, या

(ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन के

भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते हैं,

तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयया ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी मध्यस्थ में, यदि पक्षकार किसी मध्यस्थ पर, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी ।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन,—

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित रूप में कार्य करने में असफल रहता है, या

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं, या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के अधीन उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में असफल रहता है,

वहां कोई पक्षकार, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था से, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबंध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है ।

(6क) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय, यथास्थिति, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार के विद्यमान होने की परीक्षा करने तक ही सीमित रहेगा ।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा ।

(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, निम्नलिखित का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी—

(क) पक्षकारों के करार द्वारा अपेक्षित मध्यस्थ की कोई अर्हता, और

(ख) अन्य बातें, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है ।

(9) किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की दशा में, जहां पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं वहां उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न किसी राष्ट्रीयता वाला कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगी ।

(10) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी स्कीम बना सकेगा जो उक्त न्यायालय, उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए समुचित समझे ।

(11) जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन पहली बार अनुरोध किया गया है, वहां केवल वही उच्च न्यायालय या उसका पदाभिहित ही, जिससे सुसंगत उपधारा के अधीन प्रथम बार अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध की बाबत विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगा ।

(12) (क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां "उन उपधाराओं में "यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "उच्चतम न्यायालय" के प्रति निर्देश है ।

(ख) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में "यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय" के प्रति निर्देश है जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और, जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है ।

(13) किसी मध्यस्थ या किन्हीं मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए इस धारा के अधीन किए गएकिसी आवेदन का निपटारा, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या से न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वार यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और उस मामले का निपटारा विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा ।

(14) माध्यस्थम् अधिकरण की फीस के और माध्यस्थम् अधिकरण को उसके संदाय की रीति के अवधारण के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चैथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी विनियम विरचित कर सकेगा, जो आवश्यक हों ।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह *उपधारा अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्* को और ऐसे *मामले* में जहां पक्षकार किसी माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमत हो गए हैं, से संबंधित माध्सस्थमों (अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न) में *लागू नहीं होगी* ।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय ।

17. (1) कोई पक्षकार, माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के दौरान या माध्यस्थम् पंचाट के किए जाने के पश्चात् किन्तु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय माध्यस्थम् अधिकरण को-- ।

दावा और प्रतिरक्षा के कथन ।

23. (1) * * * * * *

(3) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, कोई भी पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान अपने दावे या प्रतिरक्षा को संशोधित या अनुपूरित कर सकेगा जब तक कि माध्यस्थम् अधिकरण उसे करने में विलंब को ध्यान में रखते हुए संशोधन या अनुपूर्ति को अनुज्ञात करना उचित न समझे ।

* * * * * * *

माध्यस्थम् पंचाट की समय-सीमा ।

29क. (1) पंचाट, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, माध्यस्थम् अधिकरण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को निर्देश ग्रहण कर लिया है जिसको, यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों ने उपनी नियुक्ति की सूचना लिखित में प्राप्त कर ली है ।

* * * * * * *

(4) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर पंचाट नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ (मध्यस्थों) का समादेश, जब तक कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व या उसके पश्चात् उस अवधि को बढ़ा न दिया गया हो, पर्यवस्ति हो जाएगा :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन अवधि बढ़ाए जाने के समय न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि कार्यवाहियों में विलंब माध्यस्थम् अधिकरण के कारण हुआ माना जा सकता है तो वह ऐसे विलंब के प्रत्येक मास के लिए मध्यस्थ (मध्यस्थों) की फीस में पांच प्रतिशत से अनधिक तक की कमी किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

* * * * * * *

अध्याय 7

माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध उपाय

माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन ।

34. (1) * * * * * *

(2) कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि–

(क) आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि–

* * * * * * *

अध्याय 9

अपीलें

37. (1) निम्नलिखित आदेशों से (न कि अन्यों से) कोई अपील उस न्यायालय में होगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्रियों से अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, अर्थात् :– अपीलनीय आदेश ।

*   *   *   *   *   *   *

1908 का 5

45. भाग 1 में, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, जबकि किसी ऐसे विषय के बारे में जिसके संबंध में धारा 44 में निर्दिष्ट पक्षकारों ने कोई करार किया है किसी न्यायिक प्राधिकारी के हाथ में मामला चला गया हो, तब वह न्यायालय पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार या उसकी मार्फत या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के निवेदन पर पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए उस दशा में ही निर्देशित करेगा जब कि उसका यह निष्कर्ष होता है कि उक्त करार अकृत और शून्य है, अप्रवर्तनशील है या पालन किए जाने के योग्य नहीं है । पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करने की न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति ।

*   *   *   *   *   *   *

50. (1) ऐसे किसी आदेश से कोई अपील, जिसमें– अपीलीय आदेश ।

*   *   *   *   *   *   *

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *   *

26. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व मूल अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार प्रारंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को तब तक लागू होगी, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, किन्तु यह अअधिनियम, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों का लागू होना । अधिनियम का लंबित माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू न होना ।

*   *   *   *   *   *   *

MGIPMRND—4984LS(CRC)—19-3-2018.